न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 637 सन 2022

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. उदी देवी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. मन्जु देवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. रोशनीदेवी पत्नी लिलाधर जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 की कुल 1.5180हैक जिसका वादी खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 की कुल 5.0600हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 7111/22000हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3889/11000 हिस्सा , प्रतिवादी सख्या 3 अकेला 7111/22000हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद सख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबालना दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एव प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता सख्या 754/491 की कुल 1.5180हैक जिसका वादी खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता सख्या 783/491 की कुल 5

Scanned with CamScanner

0600हैक्ट जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 7111/22000हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3889/11000 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 7111/22000हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद सख्या 4 मे दर्ज है उसी के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 की कुल 1.5180हैक्ट जिसका वादी खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 की कुल 5.0600हैक्ट जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 7111/22000हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3889/11000 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 7111/22000हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद सख्या 4 मे दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य वाद की मद संख्या 4 के अनुसार बाहमी बटवारा हुआ था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एव पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 के प0न0 302/408(170) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ,11 ,12 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 के प0न0 303/407(147) के किला न0 6/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0रास्ता , 6/2 की 0.2280हैक्ट , 7 , 8/0.506हैक्ट , 13 ,14/0.506हैक्ट 15/1 की 0.0260हैक्ट गै0मु0रास्ता , 15/2 की 0.2270हैक्ट कुल 1.5180हैक्ट भूमि एव खाता संख्या 703/491 की शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनाक 03/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व))
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. उदी देवी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. मन्जु देवी पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. रोशनीदेवी पत्नी लिलाधर जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 637 सन 2022 निर्णय दिनांक– 03/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 के प0न0 302/408(170) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ,11 ,12 की कुल 1.5180हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 के प0न0 303/407(147) के किला न0 6/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता , 6/2 की 0.2280हैक , 7 , 8/0.506हैक , 13 ,14/0.506हैक 15/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता , 15/2 की 0.2270हैक कुल 1.5180हैक भूमि एव खाता संख्या 783/491 की शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner